

न्यायालय संभागीय आयुक्त, जयपुर।

अपील संख्या:-430/17

1. भागीरथ पुत्र राजू जाति जाट, निवासी ग्राम खिरोड़, तहसील नवलगढ, जिला सीकर, राजस्थान।

—अपीलान्ट

बनाम

1. शान्ति देवी पत्नी स्व. श्री शिशपाल उम्र 55 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम खिरोड़, तुरकाणीजोडी, तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2. सुरेन्द्र सिंह पुत्र स्व. श्री शिशपाल रिणवा, जाति जाट, उम्र 40 वर्ष निवासी ग्राम बेरी (गौरू का बास) तहसील सोकर, जिला सीकर, राजस्थान।
3. सुभाष पुत्र स्व. श्री शिशपाल रिणवा, जाति जाट उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम बेरी (गौरूका बास) तहसील सीकर, जिला सीकर, राजस्थान।
4. पवन कुमार पुत्र स्व. श्री शिशपाल उम्र 33 वर्ष, जाति जाट निवासी ग्राम खिरोड़ तुरकाणीजोडी, तहसील नवलगढ, जिला झुन्झुनू राजस्थान।
5. मंजू देवी पुत्र स्व. श्री शिशपाल उम्र 30 वर्ष, जाति जाट, निवासी ग्राम खिरोड़ तुरकाणीजोडी, तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
6. तहसीलदार नवलगढ, जिला झुन्झुनू राजस्थान।

— रेस्पोंडेन्ट्स

निर्णय

दिनांक: 11.12.17

अपीलार्थी द्वारा यह अपील न्यायालय उप जिला कलक्टर सीकर के आदेश दिनांक 02.09.2002 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956, की धारा 75 के तहत प्रस्तुत की गई।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया है कि भूमि गत खसरा नम्बर 948/1 रकबा 9 बीघा 9 बिस्वा, खसरा नम्बर 956/2 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा राजस्व ग्राम बेरी, पटवार हल्का बेरी, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र दादिया, तहसील व जिला सीकर में स्थित है जिसका अपीलान्ट राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने के पूर्व से खातेदार काश्तकार है तथा हाल बन्दोबस्त में उपरोक्त भूमि के खसरा नम्बर 2731 रकबा 2.0 हैक्टर, खसरा नम्बर 2732 रकबा 0.36 हैक्टर, खसरा नम्बर 3794 रकबा 1.11 हैक्टर, कुल कित्ता 3 कुल रकबा 3.55 हैक्टर कायम किये गये तथा एक अन्य खसरा नम्बर 2735 रकबा 0.46 हैक्टर, खसरा नम्बर 2736 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 2737 रकबा 0.59 हैक्टर कुल कित्ता 3 कुल रकबा 1.48 हैक्टर जिनमें अपीलान्ट का 1.38 हैक्टर हिस्सा था उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि का अपीलान्ट एकमात्र काबिज खातेदार काश्तकार है तथा उपरोक्त भूमि में अपीलान्ट के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।


संभागीय आयुक्त
जयपुर

P.T.O.

(2)

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अपीलान्त की जानकारी के अनुसार रेस्पोजेन्ट संख्या 1 लगायत 5 के पिता/पति शिशपाल ने कोई तथाकथित एक प्रार्थना पत्र धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसका रिकार्ड में कहीं कोई इन्द्राज नहीं है तथा न ही उसकी कोई पत्रावली कायम की गई है तथा न ही उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर पृथक से कोई निर्णय है इसके बावजूद उपखण्ड अधिकारी सीकर ने दिनांक 02.09.2002 को तहसीलदार सीकर को एकपत्र जारी किया कि रकबा 3.55 हैक्टर भूमि तथा खसरा नम्बर 2735, 2736, 2737 में से रकबा 0.46 हैक्टर भूमि जो पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है, में खातेदार भागीरथ पुत्र राजू के साथ-साथ आवेदक शिशपाल पुत्र राजू जाति जाट जो उसका सगा भाई है, के नाम हिस्सा 1/2 अंकित किया जावे। उन्होंने कथन किया है कि तहसीलदार ने उपरोक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1127 दिनांक 03.02.2002 तस्दीक कर दिया जिसके पूर्व न तो तहसीलदार ने अपीलान्त को कोई नोटिस जारी किया तथा न ही उपखण्ड अधिकारी ने अपीलान्त के खातेदारी अधिकार समाप्त करने से पूर्व कोई नोटिस जारी किये। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय विधि विरुद्ध होने से खारिज किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर ने इस तथ्य पर भी ध्यान नहीं दिया कि किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी न्यायिक अथवा अर्द्धन्यायिक आदेश पारित करने से पूर्व उसको सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना अत्यन्त आवश्यक है, मौजूदा प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी ने एकपक्ष विशेष को लाभ पहुँचाने के लिये प्राकृतिक न्याय के सर्वमान्य सिद्धान्तों को ताक में रखकर निर्णय पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत भू-प्रबन्ध के दौरान की गई केवल लिपिकीय त्रुटि को ही दुरुस्त किया जा सकता तथा मौजूदा प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी सीकर ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर धारा 136 भू राजस्व अधिनियम का बिना कोई अवलोकन किये ही अपीलान्त के राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभाव में आने से पूर्व से चले आ रही खातेदारी अधिकारों को समाप्त कर दिया है, जो अपने आप में ही एक शून्य प्रभावी आदेश है जिसका कोई विधिक वजूद नहीं है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अपीलान्त के उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय जानकारी में आने पर अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन निर्णय की नकल हतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने मूल ही अपीलान्त को वापस लौटा दिया तथा यह कथन किया कि हम अभी इस पत्रावली को तलाश करवा रहे हैं जब भी पत्रावली मिल जावेगी आपको अपीलाधीन निर्णय की नकल प्रदान की जावेगी, तत्पश्चात अपीलान्त के पुत्र मूलचन्द ने सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत एक प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.2014 को प्रस्तुत किया जिसमें उसने आवेदन किया कि उक्त प्रकरण में पारित अपीलाधीन निर्णय व निर्णय दिनांक 02.09.2002 से सम्बन्धित तहसीलदार को भेजे गये पत्र की प्रति उपलब्ध करवाई जावे, 

P.T.O. आयुक्त
संभागीय
जयपुर

(3)

उपखण्ड अधिकारी ने अपीलान्त के पुत्र द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत चाहो गई सूचना के सम्बन्ध में यह सूचना भिजवाई कि उक्त पत्रावली रिकार्ड में जमा नहीं करवाई गई है, कार्यालय हाजा में पत्रावली काफी तलाश करवाई गई है लेकिन पत्रावली नहीं मिली है, मिलने पर आपको सूचित कर दिया जवेगा, उक्त सूचना अपीलान्त व उसके पुत्र को दिनांक 18.06.2014 को उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा प्रेषित की गई तत्पश्चात् दिनांक 25.11.2014 को पुनः अपीलाधीन निर्णय की नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया जिसे भी उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा निरस्त कर दिया गया जिस निरस्तीकरण की प्रति संलग्न उपरोक्तानुसार उक्त प्रकरण में अपीलान्त की अब तक की जानकारी के अनुसार किसी तरह की कोई पत्रावली कायम नहीं की गई है तथा ना ही कोई निर्णय लिखा गया, न ही पक्षकारो को नोटिस जारी किये गये बल्कि रेस्पोजेन्ट के पिता/पति शिशपाल को नाजायज लाभ पहुँचाने के लिये अपीलाधीन निर्णय का पत्र जारी किया गया है जिसका कोई विधिक वजूद नहीं है, इसलिये अपीलाधीन निर्णय दिनांक निरस्त किये जाने योग्य है।

अधिवक्ता अपीलान्त ने कथन किया है कि अपीलान्त को अपीलाधीन निर्णय की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी, माह दिसम्बर 2012 में जानकारी होने के पश्चात् अपीलान्त ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन निर्णय व उसकी सम्पूर्ण पत्रावली हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसे अपीलान्त को पत्रावली व निर्णय नहीं मिलने के कारण मूल ही वापस लौटा दिया गया तत्पश्चात् अपीलान्त ने निर्देशानुसार अपीलान्त के पुत्र मूलचन्द ने सूचना के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उक्त सम्पूर्ण पत्रावली एवं अपीलाधीन निर्णय व पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही तो उसमें भी उपखण्ड अधिकारी सीकर ने दिनांक 18.06.2014 को यह सूचना भिजवाई कि उक्त पत्रावली को काफी तलाश करवाया गया है लेकिन इस तरह की कोई पत्रावली उपखण्ड अधिकारी के नहीं पाई गई है, तलाश करवाया जा रहा है इसके पश्चात् अपीलान्त ने पुनः दिनांक 25.11.2014 को पुन नकल हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिसे भी अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर ने खारिज कर दिया इसलिये उपरोक्त कारणों से दिनांक 25.11.2014 तक की अवधि को मुजरा दिये जाने के पश्चात् अपील अन्दर अवधि प्रस्तुत है अन्यथा भी क्षेत्राधिकार से बाहर पारित किये गये आदेश तथा शून्य प्रभावी आदेश के लिये कानून में कोई मियाद प्रावधित नहीं है तथा अपीलान्त ने उक्त विलम्ब के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम अलग से प्रस्तुत किया गया है जो स्वीकार योग्य होने से स्वीकार फरमाया जावे तथा अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जाकर उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा पारित किये गये उपरोक्त क्षेत्राधिकार विहिन आदेश जिसके आधार पर दिनांक 02.09.2002 को राजस्व रिकार्ड में शिशपाल के नाम से नामान्तरकरण करने के आदेश पारित किये गये हैं, को निरस्त फरमाया जावे व राजस्व रिकार्ड की पूर्व की स्थिति को बहाल किये जाने के आदेश प्रदान किये जावे।

अधिवक्ता रेस्पोजेन्ट ने अपील के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी पैतृक आराजी है जिसमें रेस्पोजेन्ट का भी हक


P.T.O.
संभागीय आयुक्त
जयपुर

(4)


व हिस्सा निहित है लेकिन अपीलान्ट ने ग्राम पंचायत से साज कर विरासत का नामान्तरकरण केवल अपने ही नाम तस्दीक करवाया है जो विधि विरुद्ध होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण की जाँच कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रुटि नहीं की गई है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील प्रस्तुत होने में हुए विलम्ब के सम्बन्ध में अपर न्यायालयों की अनेकों ऐसी नज़ीरें हैं जिनमें अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुए एवं विलम्ब के सम्बन्ध में नरमी का रुख अपनाते हुए अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि उपखण्ड अधिकारी, सीकर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.09.2002 पर नामान्तरकरण संख्या 1127 की कार्यवाही की गई है जबकि प्रथम तो पत्रावली के संलग्न आदेश पत्र क्रमांक 1543-44/राजस्व/2002 दिनांक 02.09.2002 एक स्पीकिंग आदेश की श्रेणी में नहीं आता है और द्वितीय नकल प्रार्थना पत्र 28.11.17 पर पृष्ठांकित पत्रांक राजस्व/589 दिनांक 03.12.2014 एवं पत्रांक रीडर/आरटीआई/60/2014 दिनांक 18.06.14 में उपखण्ड अधिकारी द्वारा अपीलाधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली उपलब्ध नहीं होना अंकित किया है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों के मददेनजर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.2002 को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.09.2002 को खारिज किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी, सीकर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत करने का एवं सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।


(राजेश्वर सिंह)
संभागीय आयुक्त, जयपुर
जयपुर | जयपुर

निर्णय आज दिनांक 11.12.17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


संभागीय आयुक्त, जयपुर
संभागीय आयुक्त
जयपुर